दिनांक–06.07.2012 को विशेष सचिव जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में संपन्न मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति संलग्न।

बैठक में प्रमंडलवार चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमासिक के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गयी। स्थिति निम्नवत पायी गयी –

जल पथ प्रमण्डल मेदिनीनगर

इस प्रमण्डल का वर्ष 2012–13 का प्रथम त्रैमासिक कार्यक्रम 260.35 लाख के लिये स्वीकृत है जिसके विरूद्ध कुल 156.00 लाख का आवंटन निर्गत हैं। पर कार्यपालक अभियंता द्वारा बैठक में यह जानकारी दी गयी कि चेक प्राधिकार विलम्ब से प्राप्त होने के कारण कोई भुगतान नहीं हो सका है जबकि उत्तर कोयल दाँयी मुख्य नहर से निस्सृत वितरणियों में निर्गत आवंटन का 50% से अधिक कार्य कराया गया है। उनके द्वारा यह भी बतलाया गया कि अब भुगतान संभव हो सकेगा। इस स्थिति को असंतोषजनक बतलाते हुये इस पर खेद व्यक्त किया गया।

परता माइनर के चेन सं०–41.00 पर बनाये जाने वाले अक्वाडक्ट का प्राक्कलन अभी तक मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग के कार्यालय में स्वीकृति हेतु लंबित है। इस पर समीक्षात्मक बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया। कार्यक्रम में स्वीकृत "Construction of Pokhrahi Sub-distributary from 6740 mt upto end with its structures" कार्य के बारे में बतलाया गया कि इसकी निविदा की जा चुकी है एवं आवंटन की आवश्यकता है।

निदेश :–

(i) जुलाई 2012 तक किये गये भुगतान का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यह जाँच किया जाये कि भुगतान बैठक में पदाधिकारियों द्वारा कार्य की भौतिक प्रगति से संबंधित दिये गये मौखिक विवरण से मेल खाता है अथवा नहीं। अगर यह मेल नहीं खाता है तो तीनों पदाधिकारियों कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता से स्पष्टीकरण पूछे।

(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची)

(2) **पुनर्स्थापन संबंधी कार्य :–** चाको, पीरी, सोनरे, रानीताल इत्यादि योजनाओं के पुनस्थापन कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति अब तक नहीं प्राप्त हो सकने के कारण इससे संबंधित स्वीकृत कार्यक्रम के कार्यों का आवंटन निर्गत नहीं हो सका है। फलतः कार्यो की प्रगति और कम है। प्रशासनिक स्वीकृति की धीमी प्रगति हेतु कौन जिम्मेदार है इसकी समीक्ष का अगली बैठक में सूचना दी जाये। **(कार्रवाई– मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन राँची)**

(3) **कदवन बाँध प्रमण्डल नगर उँटरी :–** इस प्रमण्डल को डोमनीनाला योजना का पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करने एवं गढ़वा जिला के नगर उँटारी प्रखण्ड में नरही पंचायत के ग्राम सलसलही मे कसपा नदी पर डैम निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य हेतु कल 10.25 लाख रूपये का आवंटन निर्गत है पर अब तक व्यय शून्य है। यह इसे असंतोषजनक बतलाया गया।

निदेशः–

(1) मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर एक माह में इन कार्यों की प्रगति सुनिश्चित कर प्रतिवेदन विभाग को देंगे। **(निदेश– यथाउपरोक्त)**

(4) **औरंगा निर्माण प्रमंडल पाँकी :–** इस प्रमंडल के योजनाओं के निर्माण हेतु प्रथम त्रैमासिक का कार्यक्रम 532.00 लाख के लिये स्वीकृत है तथा कुल 589.00 लाख का आवंटन निर्गत है पर व्यय शून्य पाया गया। इसका कारण cheque authority अप्राप्त रहना बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त .योजनाओं की भौतिक प्रगति भी असंतोष जनक पायी गयी।

उत्तर कोयल बाँयी मुख्य नहर से निः सृत कांडी सब डिस्ट्रीब्यूटरी का अनुसंधान प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ नही हुआ है। JSAC द्वारा उत्तरकोयल जलाशय का डूब क्षेत्र का Satelite Imageries के माध्यम से सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिये जाने के बाद भुगतान नहीं हो सका है। उत्तर कोयल बाँयी मुख्य नहर के संरचनाओं का कार्य पूरा नहीं है। बाँयी मुख्य नहर में ग्राम चेचरिया खुई में भू–अर्जन का कार्य पूरा नहीं हो पाने के कारण नहर का निर्माण अधूरा है।

अमानत बराज का U/S का Guide Bund पूरा नहीं हो सका है।

कादल ग्राम के जल जमाव की निकासी हेतु चेन सं० 3.37 पर सी०डी० तथा ड्रेनेज चैनल का निर्माण का एकरारनामा विभाग के आदेश के वावजूद अभी तक बंद नही किया गया है। बाँयी मुख्य नहर के एकरारनामा सं० $74F_2$/2008–09 के तहत चल रहा आर०डी० 1.00/1.10 तक पर सी०डी० निर्माण का प्राक्कलन अभी भी पुनरीक्षित होना बाकी है यह सब क्षेत्रीय पदाधिकारियों के ढीले/ढाले रवैये का द्योतक है जो काफी कष्टकारक है।

निर्देशः–

(1) क्षेत्रीय पदाधिकारियों की कार्य शैली में सुधार लाने का निर्देश परिक्षेत्र के सभी कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता को एक महीने के अंतर्गत दिया गया अथवा विभाग नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई करे।

2) उत्तर कोयल बाँयी मुख्य नहर के ग्राम चेचरिया खुर्द में भू–अर्जन की धीमी प्रगति में सुधार लाने हेतु प्रधान सचिव जल संसाधन विभाग की ओर से उपायुक्त गढ़वा को DO Letter लिखा जायें।

(कार्रवाई–मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची)

जल पथ प्रमंडल गढवा :–

1) प्रथम त्रैमासिक का

स्वीकृत कार्यक्रम – रू॰ 144.90 लाख

प्रदत्त आवंटन – रू॰ 113.07 लाख

अब तक व्यय – रू॰ 9.99 लाख

उपरोक्त प्रगति असंतोष जनक है।

निदेश :–

(1) केहुनिया नाला योजना का डी॰पी॰आर॰ update कर स्वीकृति यथाशीघ्र प्राप्त करने की कार्रवाई की जाये। **(कार्रवाई – कार्यपालक अभियंता जल पथ प्रमण्डल गढ़वा)**

(2) धनकट्टी नाला का भू–अर्जन कार्य तेज किया जाये। **(कार्रवाई– विशेष–भू–अर्जन पदाधिकारी)**

(3) पुनर्स्थापन कार्यों हेतु आवश्यक आवंटन निर्गत कर दिया जायें। **(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची)**

रूपांकण प्रमंडल सं॰–1 मेदिनीनगर :–

बँटाने जलाशय योजना का :–

1) प्रथम त्रैमासिक का

स्वीकृत कार्यक्रम ....रू॰ 113.00 लाख

निर्गत आवंटन – रू॰ 118.25 लाख

अबतक व्यय – शून्य

प्रगति :– असंतोषजनक

कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत आवंटन का 25% व्यय अगले एक माह में हो जाने की उम्मीद जतायी गयी।

2) दाहिने मुख्य नहर के चेन सं॰ 200 से 390 के बीच 20 चेन की लंबाई में ग्राम भंवर के पास भू अर्जन कार्य नहीं हो पाने के कारण नहर का कार्य अपूर्ण रहना।

3) दाँयी मुख्य नहर के चेन सं॰ 446.00 पर सी॰डी॰ निर्माण की प्रगति धीमी रहने के कारण संवेदक के कार्य को Rescind करने में प्रमंडल के पदाधिकारियों द्वारा अनावश्यक विलम्ब करना/तथा अवशेष कार्य का पुनरीक्षित प्रक्कलन को स्वीकृति प्रदान कर निविदा नहीं किया जाना।

निदेश :—

1. विशेष भू अर्जन पदाधिकारी बैठक में स्वयम द्वारा दिये गये समयसीमा 90 दिन में ग्राम भंवर का भू अर्जन कार्य संपन्न करें। **(कार्रवाई— विशेष भू अर्जना पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर)**
2. मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग मेदिनीनगर मुख्य अभियंता,जल संसाधन विभाग (बिहार) औरंगा बाद से संपर्क स्थापित कर योजना के संयुक्त अवयवों के वर्ष 2012—13 का कार्यक्रम संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित कराकर विभाग को एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। **(कार्रवाई—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर)**
3. मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग मेदिनीनगर, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, (बिहार) औरंगाबाद से संपर्क स्थापित कर पूर्व प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार बिहार द्वारा देय निधि पर विहार सरकार से कार्रवाई सुनिश्चित करायें। **(कार्रवाई—मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर)**

1 फिलहाल पुनर्वास कायों हेतु मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर के रू॰ 9.52 करोड़ की गाँग के विरूद्ध 2.00 करोड़ का आवंटन, रूपांकण प्रमण्डल सं०—1, मेदिनीनगर को निर्गत किया जाये।

(कार्रवाई—मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची)

अनुसंधान प्रमण्डल गढ़वा :—

त्रैमासिक कार्यक्रम	—	रू॰ 31.59 लाख
आवंटन	—	रू॰ 36.84 लाख
अब तक व्यय	—	शून्य

यह असंतोषजनक है।

निदेश :—

कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछें।

(कार्रवाई—मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची)

अन्यान्य विषय एवं निर्देश :—

(i) निरीक्षण वाहन से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हो गया हैं। इसकी समीक्षा की जाये।

(ii) ट्रेनिग का प्रतिवेदन दो दिनों में उपलब्ध कराया जाये।

(iii) औरंगा निर्माण प्रमण्डल पाँकी के अतंर्गत पुराने एकरानामों पर अपना मंतव्य अधीक्षण अभियंता औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर द्वारा नही दिया गया है। वे इसे देकर ही मुख्यालय से वापस लौटेंगं।

(iv) भविष्य में होनेवाली सभी समीक्षा बैठकों में स्वीकृत त्रैमासिक कार्यक्रम की सारणी के अनुसार ही कार्यो की समीक्षा की जायेगी। अतः बैठक में शामिल होनवाले सभी पदाधिकारी इसकी एक प्रति अपने साथ रखेंगें।

(v) इसके अतिरिक्त पिछली बैठक में दिये गये सभी निदेशों जिनका अनुपालन अब तक नहीं हुआ है उनका अनुपालन यथाशीघ्र किया जाये।

इस प्रकार मेदिनीनगर प्रक्षेत्र के प्रमंडलो के प्रथम तैमासिक कार्यो का सार सक्षेप इस प्रकार है–

परिक्षेत्र :– मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर

<u>प्रमंडलवार वर्ष 2012–13 के प्रथम त्रैमासिक की वित्तीय उपलब्धि</u>

(राशि लाख रू० में)

क्र०	अंचल का नाम	प्रमण्डल का नाम	प्रथम त्रैमासिक का कार्यक्रम	प्रदत् आवंटन	व्यय	% व्यय	प्रदत् Category Grade
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ई० विश्वनाथ बोईपोई अधीक्षण अभियंता कदवन बांध अंचल, गढ़वा शिविर–मेदिनीनगर	ई० कपिल मुनी सिंह, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्र०, मेदिनीनगर	260.35	156.00	0.00	0.00%	D
		ई० मो० गुलाम हैदर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कदवन बांध प्र०, नगरउँटारी	5.25	10.25	0.00	0.00%	D
	कुल :–		**265.60**	**166.25**	**0.00**	**0.00%**	
2	ई० सोहन सेठ अधीक्षण अभियंता औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर	ई० कपिल मुनी सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, औरंगा निर्माण प्र०, पांकी	532.62	589.00	0.00	0.00%	D
		ई० रवीन्द्र शर्मा, कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्र० सं०–1,मेदिनीनगर	118.77	118.25	0.00	0.00%	D
	कुल :–		**651.39**	**707.25**	**0.00**	**0.00%**	
3	ई० विश्वनाथ बोईपोई अधीक्षण अभियंता जलपथ अंचल, गढ़वा	ई० महेन्द्र प्रसाद सिंह, कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्र०, गढ़वा	121.90	113.07	9.99	8.84%	D
		ई० मो० गुलाम हैदर, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, अनुसंधान प्र०, गढ़वा	31.59	36.84	0.00	6.66%	D
	कुल :–		**153.49**	**149.91**	**9.99**	**6.66%**	
	सकल योग :–		**1070.48**	**1023.41**	**9.99**	**0.97%**	

Grading Criteria :-

1) 75 - 100% उपलब्धि – ग्रेड A
2) 50 - 75% उपलब्धि – ग्रेड B
3) 25 - 50% उपलब्धि – ग्रेड C
4) 25% से कम उपलब्धि – ग्रेड D

कार्रवाई पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 930 /राँची, दिनांक :– 11/8/12

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) एवं सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (e-mail से)

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 930 /राँची, दिनांक :– 11/8/12

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, 2 एवं 3 को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 930 /राँची, दिनांक :– 11/8/12

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। वे अपने स्तर से इसकी एक प्रति विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर एवं पुनर्वास पदाधिकारी उत्तरी कोयल परियोजना मेदिनीनगर सहित सभी अधीनस्थ पदाधिकारियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चत करेंगे।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 930 /राँची, दिनांक :– 11/8/12

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव

पत्रांक :– 930 /राँची, दिनांक :– 11/8/12

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग के सचिव/आप्त सचिव अभियंता प्रमुख–1/2 एवं विशेष सचिव के निजी सहायक/ आप्त सचिव, माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री को सूचनार्थ प्रेषित।

11/8
(बी०सी० निगम)
विशेष सचिव